**320. अपराधों का शमन** —(1) नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन उस सारणी के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है—

[1][सारणी

| अपराध | भारतीय दण्ड संहिता की धारा जो लागू होती है | व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उपधारित करना, आदि | 298 | वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना |
| स्वेच्छया उपहति कारित करना | 323 | वह व्यक्ति, जिसे उपहति कारित की गई है |
| उत्तेजना पर स्वेच्छया उपहति कारित करना | 334 | यथोक्त |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| सकल व अचानक उत्तेजना पर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करना | 335 | यथोक्त |
| किसी शक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध | 341, 342 | वह व्यक्ति जो अवरूद्ध या परिरुद्ध किया गया है |
| तीन दिनों या अधिक के लिए व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध करना | 343 | वह व्यक्ति जो परिरुद्ध किया गया है |
| दस दिनों या अधिक के लिए व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध करना | 344 | यथोक्त |
| गोपनीयता में व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध करना | 346 | यथोक्त |
| हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 352, 355, 358 | वह व्यक्ति, जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है |
| चोरी | 379 | चुरायी गयी सम्पत्ति का मालिक |
| सम्पत्ति का दुराशयपूर्वक दुर्विनियोजन | 403 | दुर्विनियोजित सम्पत्ति का मालिक |
| वाहक, वार्फिंगर इत्यादि द्वारा आपराधिक न्यासभंग | 407 | यथोक्त |
| चुरायी सम्पत्ति को चोरी की होना जानते हुए दुराशयपूर्वक प्राप्त करना | 411 | चुरायी गयी सम्पत्ति का मालिक |
| चुरायी सम्पत्ति को चोरी की होना जानते हुए छुपाने या निस्तारित करने में सहायता करना | 414 | यथोक्त |
| छल | 417 | छला गया व्यक्ति |
| प्रतिरूपण द्वारा छल | 419 | यथोक्त |
| लेनदारों के मध्य वितरण रोकने के लिए सम्पत्ति इत्यादि को कपटपूर्वक हटाना या छुपाना | 421 | ऐसे लेनदार, जो उसके द्वारा प्रभावित होते हों |
| अपराधी के कारण ऋण या मांग अपने लेनदारों के लिए उपलब्ध कराने से कपटपूर्वक निवारित करना | 422 | यथोक्त |
| प्रतिफल के मिथ्या कथन वाले अंतरण विलेख का कपटपूर्वक निष्पादन | 423 | उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति |
| सम्पत्ति को कपटपूर्वक हटाना या छुपाना | 424 | यथोक्त |
| रिष्टि, जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हानि या नुकसान है | 426, 427 | व्यक्ति जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है |
| जीव-जन्तु का वध करने या विकलांग करने की रिष्टि | 428 | जीव-जन्तु का मालिक |
| ढोर इत्यादि का वध करने या विकलांग करने की रिष्टि | 429 | ढोर या जीव-जन्तु का मालिक |
| सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि, जब केवल कारित हानि या क्षति प्राइवेट व्यक्ति को हानि या क्षति हों | 430 | व्यक्ति जिसे हानि या क्षति कारित हुई हों |
| आपराधिक अतिचार | 447 | उस सम्पत्ति, जिस पर अतिचार किया गया, के कब्जे में व्यक्ति |
| गृह-अतिचार | 448 | यथोक्त |
| कारावास से दण्डनीय अपराध (चोरी के अलावा) कारित करने के लिए गृह-अविचार | 451 | उस सम्पत्ति, जिस पर अतिचार किया गया, के कब्जे में व्यक्ति |
| मिथ्या व्यापार या सम्पत्ति-चिन्ह का उपयोग | 482 | वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है |
| अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये गये व्यापार या सम्पत्ति चिन्ह का कूटकरण | 483 | वह व्यक्ति, जिसका व्यापार या सम्पत्ति चिन्ह कूटकृत किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Knowingly selling, or exposing or possessing for sale or for manufacturing purpose, goods marked with a counterfeit property mark. | 486 | Ditto. |
| Criminal breach of contract of service. | 491 | The person with whom the offender has contracted. |
| Adultery. | 497 | The husband of the woman. |
| Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman. | 498 | The husband of the woman and the woman. |
| Defamation, except such cases as are specified against Section 500 of the Indian Penal Code (45 of 1860) in Column 1 of the Table under Sub-section (2). | 500 | The person defamed. |
| Printing or engraving matter, knowing it to be defamatory. | 501 | Ditto. |
| Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing it to contain such matter. | 502 | Ditto. |
| Insult intended to provoke a breach of the peace. | 504 | The person insulted. |
| Criminal intimidation. | 506 | The person intimidated. |
| Inducing person to believe himself an object of divine displeasure. | 508 | The person induced. |

(2) The offences punishable under the Section of the Indian Penal Code (45 of 1860) specified in the first two columns of the Table next following may, with the permission of the Court before which any prosecution for such offence is pending, be compounded by the persons mentioned in the third column in that Table :—

[1][TABLE

| Offence | Section of the Indian Penal Code applicable | Person by whom offence may be compounded |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Causing miscarriage. | 312 | The woman to whom miscarriage is caused |
| Voluntarily causing grievous hurt. | 325 | The person to whom hurt is caused. |
| Causing hurt by doing an act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of others. | 337 | Ditto. |
| Causing grievous hurt by doing an act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of others. | 338 | Ditto. |
| Assault or criminal force in attempting wrongfully to confine a person. | 357 | The person assaulted or to whom the force was used. |
| Theft, by clerk or servant of property in possession of master. | 381 | The owner of the property stolen. |
| Criminal breach of trust | 406 | The owner of property in respect of which breach of trust has been committed. |
| Criminal breach of trust by a clerk or servant. | 408 | The owner of the property in respect of which the breach of trust has been committed. |
| Cheating a person whose interest the offender was bound, either by law or by legal contract, to protect. | 418 | The person cheated. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने, या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना | 420 | वह व्यक्ति, जिसके साथ छल किया गया |
| पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन: विवाह करना | 494 | ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी |
| राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या किसी मंत्री के विरुद्ध, उसके लोक कृत्यों के संबंध में मान-हानि, जब मामला लोक अभियोजक द्वारा किये गये परिवाद पर संस्थित है | 500 | वह व्यक्ति, जिसकी मानहानि की गई है |
| स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द कहना या ध्वनियां करना या अंगविक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना या स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करना | 509 | वह स्त्री जिसका अनादर करना आशयित था या जिसकी एकान्तता का अतिक्रमण किया गया था] |

[1][(3) जब अपराध इस धारा के अधीन शमन करने योग्य हों, तो ऐसे अपराध को दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध को कारित करने का दुष्प्रेरण (जब ऐसा प्रयास स्वयं में अपराध हों) या जहां अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 या 149 के अधीन दायी हों, इसी तरीके में शमन किया जा सकता है।]

(4) (क) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, अठारह वर्ष से कम आयु का है या जड़ या पागल है तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसे अपराध का शमन कर सकता है ।

(ख) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, मर जाता है तब ऐसे व्यक्ति का, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में यथापरिभाषित, विधिक प्रतिनिधि, न्यायालय की सम्मति से, ऐसे अपराध का शमन कर सकता है ।

(5) जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है और अपील लम्बित है, तब अपराध का शमन, यथास्थिति, उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात न किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है, या जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है ।

(6) धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का शमन करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका शमन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है ।

(7) यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण किसी अपराध के लिये या तो वर्धित दण्ड से या भिन्न किस्म के दण्ड से दण्डनीय है तो ऐसे अपराध का शमन न किया जाएगा ।

(8) अपराध के इस धारा के अधीन शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा जिससे अपराध का शमन किया गया है ।

(9) अपराध का शमन इस धारा के उपबन्धों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।